



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1794

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 20, 2019/ज्येष्ठ 30, 1941

No. 1794]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 20, 2019/JYAISTHA 30, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2019

का. आ.2006(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (42) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा केंद्र सरकार द्वारा की गई संधि के अंतर्गत स्थापित एक निकाय, अंतरराष्ट्रीय रेशम- उत्पादन आयोग (इन्टरनेशनल सेरिकल्चरल कमीशन), बंगलुरु (पैन: एएएजीआई0020एफ) को उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ उक्त निकाय के संबंध में होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है :—

- (क) सदस्य देशों तथा संबंधित सदस्यों से प्राप्त सदस्यता शुल्क;
- (ख) संयुक्त राष्ट्र, अन्तः सरकारी एजेंसियों तथा सरकार के सदस्य देशों से प्राप्त दान अथवा अनुदान;
- (ग) अंतरराष्ट्रीय रेशम-उत्पादन आयोग द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए पंजीकरण शुल्क; तथा
- (घ) उपरोक्त (क) से (ग) पर अर्जित ब्याज।

2. इस अधिसूचना को कर निर्धारण वर्ष 2014-15 तथा इसके बाद के कर निर्धारण वर्षों के लिए लागू होना माना जाएगा।

[अधिसूचना सं. 46 /2019/फा. सं.197/10/2014-आईटीए- I]

राजाराजेश्वरी आर., अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन: यह एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति के प्रतिकूलतः प्रभावित होने की संभावना नहीं है।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th June, 2019

S.O.2006(E).—In exercise of the powers conferred by clause (42) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies, for the purposes of the said clause, '**International Sericultural Commission**', Bengaluru, (PAN:AAAGI0020F) a body constituted under a treaty entered into by the Central Government, in respect of the following specified income arising to the said body, namely:-

- (a) Membership Fee received from Member Countries and Associate Members;
- (b) donations or grants received from United Nations, Inter-Governmental agencies, and Government of Member countries;
- (c) registration fees for participating in international events organised by International Sericultural Commission; and
- (d) interest earned on (a) to (c) above.

2. This notification shall be deemed to have been applied for the assessment year 2014-15 and subsequent assessment years.

[Notification No. 46/2019/F.No. 197/10/2014-ITA-I]

RAJARAJESWARI R., Under Secy.

Explanatory Memorandum: It is hereby certified that no person is likely to be prejudicially affected by this notification being given retrospective effect.